[श्री चन्द्रपाल शैलानी]]

एक वर्ष से यह रज्जूपद्ध बन्द पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार सरकार को निर्देश दे कर शीघ्र से शीघ्र इस रज्जूपथ को चालू कराये जिससे पर्यटकों को होने वाली असुविधा दूर हो सके। बेहतर तो यह होगा कि केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने हाथ में इसके प्रबन्ध को ले कर चलाये।

(ii) NEED FOR ISSUING LICENCES TO FARMERS FOR CULTIVATION OF POPPY.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम और अल्कालाइड का बहुत पुराना कारखाना है। वहां अफीम का कारखाना इसलिए स्थापित किया गया था कि उस जिले में अच्छे किस्म के पोस्त की खेती होती थी, जिससे कि अफीम निकाली जाती है। पोस्ते की खेती के लिए किसानों को नार्कोटिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, पहले पुरे जिले में यह लाइसेंस दिया जाता था और किसान इसे कैश क्राप के रूप में इसकी खेती करते थे।

इधर कुछ वर्षों से गाजीपुर के किसानों को पोस्ते की खेती के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। नार्कोटिंग विभाग का कार्यालय गाजीपुर से लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया। इससे इस विभाग का तो खर्चा बहुत काफी बढ़ गया है। यदि लाभ हुआ तो केवल यह कि उस विभाग के बड़े अधिकारी गाजीपुर के छोटे शहर से उठकर लखनऊ जैसे बड़े शहर में चले गये हैं। गाजीपुर अफीम कारखाने का लाभ गाजीपुर के किसानों को जो मिला करता था उससे वह वंचित हो गये हैं। अन्य स्थानों पर पोस्ते की जो खेती होती है, उससे घटिया किस्म की अफीम पैदा होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे कि गाजीपुर के किसानों को जिले के सभी क्षेत्रों में आसानी से पोस्ते की खेती का लाइसेंस दिया जा सके जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो तथा नारकोटिंग कार्यालय को पुनः गाजीपुर ले जाया जाये।

(iii) CRITERIA FOR GRANT OF CENTRAL ASSISTANCE FOR ACCELERATED WATER SUPPLY PROGRAMME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान के रेगिस्तानी बाड़मेर जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के पैंतीस वर्ष की आजादी के बाद भी चालीस, तीस एवं पचास प्रतिशत क्रमशः समस्याप्रद ग्रामों की समस्या ही हल हो चुकी है और उन गांवों में भी ग्राम निवासी 10 वर्ग किलोमीटर से 150 वर्ग किलोमीटर में ढ़ाणियों के समूह में रहने के कारण उन्हें पीने के पानी की प्राप्ति के लिए तीन किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार ने किसी भी ग्राम निवासी को 1.6 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर पानी प्राप्ति के लिए जाना पड़े तो उक्त ग्राम को समस्याप्रद माना है और यह निर्णय कर रखा है कि उक्त समस्याप्रद ग्रामों में एक मुख्य स्थान पर ही पानी पहुंचाया जाए परन्तु यह रोक रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां कि ग्रामवासी को एक ग्राम में पानी की प्राप्ति के लिए एक किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है पर लागू होने से उन्हें पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाती।

रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। प्रति व्यक्ति 10 गैलन का प्रावधान किया जाता है परन्तु पशु जो कि गणना में मनुष्य से दुगने से भी अधिक होते हैं और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में उनकी आर्थिक स्थिति के आधार हैं, के पीने के पानी